Union Executive (Articles 52-78) & State Executive (Articles 153-167)	केंद्रीय कार्यपालिका (अनुच्छेद 52-78) और राज्य कार्यपालिका (अनुच्छेद 153-167)
The executive is growing in importance as it provides leadership to the government. With the ever-widening sphere of its activities, the executive has naturally become the most important branch of government formally, supremacy may rest with the legislature but in practice, it is the executive which is all-important. The Ministries and the department helps running the government successfully along with the bureaucracy and the legislature.	सरकार के लिए नेतृत्व प्रदान करने के रूप में कार्यकारी महत्व में बढ़ रहा है। अपनी गतिविधियों के व्यापक दायरे के साथ, कार्यकारिणी स्वाभाविक रूप से औपचारिक रूप से सरकार की सबसे महत्वपूर्ण शाखा बन गई है, वर्चस्व विधायिका के साथ आराम कर सकता है लेकिन व्यवहार में, यह कार्यकारी है जो सभी महत्वपूर्ण है। मंत्रालय और विभाग नौकरशाही और विधायिका के साथ-साथ सरकार को सफलतापूर्वक चलाने में मदद करते हैं।

Union Executive (Article 52-78)	केंद्रीय कार्यपालिका (अनुच्छेद 52-78)
➢ The union executive of Indian polity is a part of the political executive, that comprises three important posts: ➢ President (Article 52-62) ➢ Prime Minister & Council of Ministers (Article 74-75 & Article 78) ➢ Attorney-General of India (Article 76)	➢ भारतीय राजनीति की संघ कार्यपालिका राजनीतिक कार्यपालिका का एक हिस्सा है, जिसमें तीन महत्वपूर्ण पद शामिल हैं: ➢ राष्ट्रपति (अनुच्छेद 52-62) ➢ प्रधान मंत्री और मंत्रिपरिषद (अनुच्छेद 74-75 और अनुच्छेद 78) ➢ भारत के अटॉर्नी-जनरल (अनुच्छेद 76)

State Executive (Article 153-167)	राज्य कार्यकारिणी (अनुच्छेद 153-167)
➢ The state executive of Indian Polity is also a part of the political executive that comprises three important posts:	➢ भारतीय राजनीति की राज्य कार्यपालिका भी राजनीतिक कार्यकारिणी का एक हिस्सा है जिसमें तीन महत्वपूर्ण पद शामिल हैं:
➢ Governor (Article 153-161)	➢ राज्यपाल (अनुच्छेद 153-161)
➢ Chief Minister & Council of Ministers (Article 164-167)	➢ मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद (अनुच्छेद 164-167)
➢ Advocate-General of State (Article 165 and 177)	➢ राज्य के महाधिवक्ता (अनुच्छेद 165 और 177)
➢ Aspirants are advised to refer to the linked articles to clearly understand about the union and state executive that can help them build their political science subject strongly	➢ उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे संघ और राज्य कार्यकारिणी के बारे में स्पष्ट रूप से समझने के लिए जुड़े हुए लेखों को देखें जिससे उन्हें अपने राजनीतिक विज्ञान को दृढ़ता से बनाने में मदद मिल सके

President of India - Article (52-62)	भारत के राष्ट्रपति - अनुच्छेद (52-62)
The Indian President is the head of the state and he is also called the first citizen of India. He is a part of Union Executive, provisions of which are dealt with Article 52-78 including articles related to President (Article 52-62). Under these articles, information on how a President is elected, his powers and functions, and also his impeachment process is given.	भारतीय राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है और उसे भारत का प्रथम नागरिक भी कहा जाता है। वह केंद्रीय कार्यकारी का एक हिस्सा है, जिसके प्रावधानों को अनुच्छेद 52-78 से निपटाया जाता है जिसमें राष्ट्रपति से संबंधित लेख (अनुच्छेद 52-62) शामिल हैं। इन लेखों के तहत, राष्ट्रपति कैसे चुने जाते हैं, उनकी शक्तियां और कार्य और साथ ही उनकी महाभियोग प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी जाती है।

Who is President of India?

- The Indian President is the head of the state. He is the first citizen of India and is a symbol of solidarity, unity, and integrity of the nation. He is a part of Union Executive along with the Vice-President, Prime Minister, Council of Ministers, and Attorney-General of India.

भारत का राष्ट्रपति कौन होता है?

- भारतीय राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है। वह भारत का पहला नागरिक है और राष्ट्र की एकजुटता, एकता और अखंडता का प्रतीक है। वह उप-राष्ट्रपति, प्रधान मंत्री, मंत्रिपरिषद और भारत के अटॉर्नी-जनरल के साथ-साथ केंद्रीय कार्यकारी का एक हिस्सा है।

How is President elected?	राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है?
➢ There is no direct election for the Indian President. An electoral college elects him. The electoral college responsible for President's elections comprises elected members of:	➢ भारतीय राष्ट्रपति के लिए कोई सीधा चुनाव नहीं है। एक इलेक्टोरल कॉलेज उसका चुनाव करता है। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जिम्मेदार निर्वाचक मंडल में निम्नलिखित सदस्य होते हैं:
➢ Lok Sabha and Rajya Sabha ➢ Legislative Assemblies of the states (Legislative Councils have no role) ➢ Legislative Assemblies of the Union Territories of Delhi and Puducherry	➢ लोकसभा और राज्यसभा ➢ राज्यों की विधानसभाओं (विधान परिषदों की कोई भूमिका नहीं है) ➢ दिल्ली और पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाएं

Note:	ध्यान दें:
The value of the vote of an MLA is given below	एक विधायक के वोट का मूल्य नीचे दिया गया है

$$\text{Value of the vote of an MLA} = \frac{\text{Total population of state}}{\text{Total number of elected members in the state legislative assembly}} \times \frac{1}{1000}$$

$$\text{Value of the vote of an MLA} = \frac{\text{Total population of state}}{\text{Total number of elected members in the state legislative assembly}} \times \frac{1}{1000}$$

1. Who does not take part in the President's elections? 2. The following group of people is not involved in electing the President of India: ➢ Nominated Members of Lok Sabha (2) and Rajya Sabha (12) ➢ Nominated Members of State Legislative Assemblies ➢ Members of Legislative Councils (Both elected and nominated) in bicameral legislatures ➢ Nominated Members of union territories of Delhi and Puducherry	1. राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं लेता है? 2. निम्नलिखित लोगों का समूह भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करने में शामिल नहीं है: ➢ लोकसभा के मनोनीत सदस्य (2) और राज्यसभा (12) ➢ राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य ➢ द्विसदनीय विधानसभाओं में विधान परिषदों के सदस्य (निर्वाचित और मनोनीत दोनों) ➢ दिल्ली और पुदुचेरी के केंद्र शासित प्रदेशों के नामांकित सदस्य

What is the term of the President's office?

- Once President is elected, he holds office for five years. He sits in the office even after the completion of five years given no new election has taken place or no new President has been elected till then. He can also be re-elected and there is no cap on his re-election

राष्ट्रपति के कार्यालय का कार्यकाल क्या है?

- एक बार राष्ट्रपति चुने जाने के बाद, वह पाँच साल तक पद पर रहते हैं। वह पाँच साल पूरे होने के बाद भी कार्यालय में बैठता है, कोई नया चुनाव नहीं हुआ है या तब तक कोई नया राष्ट्रपति नहीं चुना गया है। वह फिर से चुने जा सकते हैं और उनके फिर से चुनाव पर कोई टोपी नहीं है

What are the qualifications of the President?	राष्ट्रपति की योग्यताएँ क्या हैं?
➢ A candidate has to meet some qualifications to be elected as the president. Those qualifications of the President are:	➢ एक उम्मीदवार को राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने के लिए कुछ योग्यताओं को पूरा करना होगा। राष्ट्रपति की वे योग्यताएँ हैं:
➢ He should be an Indian Citizen	➢ वह भारतीय नागरिक होना चाहिए
➢ His age should be a minimum of 35 years	➢ उसकी आयु न्यूनतम 35 वर्ष होनी चाहिए
➢ He should qualify the conditions to be elected as a member of the Lok Sabha	➢ उसे लोकसभा के सदस्य के रूप में चुने जाने की शर्तों को योग्य बनाना चाहिए
➢ He should not hold any office of profit under the central government, state government, or any public authority	➢ उसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार या किसी भी सार्वजनिक प्राधिकरण के तहत लाभ का कोई कार्यालय नहीं रखना चाहिए

What are the conditions of the President's office?

- He cannot be a member of Lok Sabha and Rajya Sabha. If he has been a member of either of the house, he should vacate the seat on his first day as President in the office
- He should not hold any office of profit
- For his residence, Rashtrapati Bhavan is provided to him without the payment of rent
- Parliament decides his emoluments, allowances and privileges

राष्ट्रपति के कार्यालय की शर्तें क्या हैं?

- वह लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य नहीं हो सकता। यदि वह घर के किसी सदस्य का सदस्य रहा है, तो उसे अपने पहले दिन कार्यालय में अध्यक्ष के रूप में सीट खाली करनी चाहिए
- उसे लाभ का कोई पद नहीं रखना चाहिए
- उनके आवास के लिए, राष्ट्रपति भवन उन्हें किराए के भुगतान के बिना प्रदान किया जाता है
- संसद उनके परिलब्धियाँ, भत्ते और विशेषाधिकार तय करती है

- Parliament cannot diminish his emoluments and allowances during his term of office
- He is given immunity from any criminal proceedings, even in respect of his personal acts
- Arrest or imprisonment of the President cannot take place. Only civil proceedings can be initiated for his personal acts that too after giving two months' of prior notice

- संसद अपने पद के कार्यकाल के दौरान अपने अधिकारों और भत्तों को कम नहीं कर सकती है
- उन्हें किसी भी आपराधिक कार्यवाही से प्रतिरक्षा प्रदान की जाती है, यहां तक कि उनके व्यक्तिगत कृत्यों के संबंध में भी
- राष्ट्रपति की गिरफ्तारी या जेल नहीं हो सकती। केवल अपने व्यक्तिगत कृत्यों के लिए सिविल कार्यवाही शुरू की जा सकती है, जो दो महीने की पूर्व सूचना देने के बाद भी हो सकती है

- **What is the procedure for impeachment of a President?**
- The only condition for the initiation of impeachment of the Indian president is the 'violation of the constitution.'
- Note: Indian Constitution contains no definition of 'violation of the constitution.'
- The impeachment process of President is given below. (We have taken Lok Sabha as the first house to initiate the impeachment charges, however, Rajya Sabha too can initiate the impeachment charges against President and in that case, it will pass the resolution and send the charges to Lok Sabha which will investigate and pass it if it finds those charges valid.)

- **राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया क्या है?**
- भारतीय राष्ट्रपति के महाभियोग की पहल के लिए एकमात्र शर्त संविधान का उल्लंघन है। '
- नोट: भारतीय संविधान में संविधान के उल्लंघन की कोई परिभाषा नहीं है।)
- राष्ट्रपति की महाभियोग प्रक्रिया नीचे दी गई है। (हमने महाभियोग के आरोपों को शुरू करने के लिए लोकसभा को पहले सदन के रूप में लिया है, हालांकि, राज्यसभा भी राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग के आरोप शुरू कर सकती है और उस मामले में, यह प्रस्ताव पारित करेगी और आरोपों को लोकसभा को भेजेगी जो जांच करेगी और पारित करेगी यदि यह उन शुल्कों को वैध पाता है।)

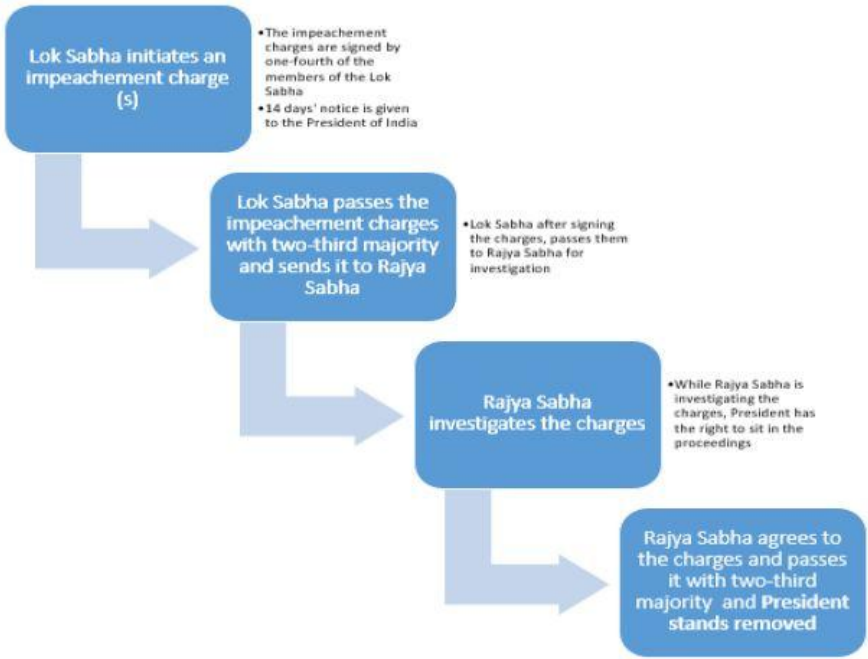
Lok Sabha initiates an impeachement charge (s)
•The impeachement charges are signed by one-fourth of the members of the Lok Sabha
•14 days' notice is given to the President of India
Lok Sabha passes the impeachement charges with two-third majority and sends it to Rajya Sabha
•Lok Sabha after signing the charges, passes them to Rajya Sabha for investigation
Rajya Sabha investigates the charges
•While Rajya Sabha is investigating the charges, President has the right to sit in the proceedings
Rajya Sabha agrees to the charges and passes it with two-third majority and President stands removed

Can the President's office be vacant?
Yes, his office can be vacant in the following ways:

- When the President of India completes his term of five years in the office
- If the President resigns by putting forward his resignation to the Vice-President of India
- If Lok Sabha/Rajya Sabha initiates an impeachment charge and they stand valid, he is removed
- If he dies in the office
- If the Supreme Court declares his election invalid

क्या राष्ट्रपति का पद रिक्त हो सकता है?
हां, उनका कार्यालय निम्नलिखित तरीकों से रिक्त हो सकता है:

- जब भारत के राष्ट्रपति कार्यालय में अपना पांच साल का कार्यकाल पूरा करते हैं
- यदि राष्ट्रपति भारत के उपराष्ट्रपति के समक्ष अपना इस्तीफा देकर इस्तीफा दे देता है
- यदि लोकसभा / राज्यसभा ने महाभियोग का आरोप लगाया है और वे वैध हैं, तो उन्हें हटा दिया गया
- यदि वह कार्यालय में मर जाता है
- अगर सुप्रीम कोर्ट ने उनके चुनाव को अवैध घोषित कर दिया

Note:	नोट:
Vice-President discharges the duties as President; if the latter's office falls vacant in the circumstances mentioned above, except by the expiry of the term. As per the President's Act 1969; if the Vice-President office is vacant too, Chief Justice of India (CJI) (or in his absence); Supreme Court's senior-most judge, discharge the functions of the President (till new President is elected.	उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कर्तव्यों का निर्वहन करता है; यदि उपर्युक्त परिस्थितियों में, पद समाप्त होने के अलावा, बाद वाला कार्यालय खाली हो जाता है। राष्ट्रपति के अधिनियम 1969 के अनुसार; यदि उपराष्ट्रपति का पद भी रिक्त है, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) (या उनकी अनुपस्थिति में); सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश, राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करते हैं (नए राष्ट्रपति के निर्वाचित होने तक)

What are the powers and functions of the President of India?	भारत के राष्ट्रपति की शक्तियाँ और कार्य क्या हैं?
➢ Executive Powers of President	➢ राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियाँ
➢ For every executive action that the Indian government takes, is to be taken in his name	➢ भारत सरकार को हर कार्यकारी कार्रवाई के लिए, उनके नाम पर कार्रवाई करनी है
➢ He may/may not make rules to simplify the transaction of business of the central government	➢ वह केंद्र सरकार के व्यापार के लेन-देन को आसान बनाने के लिए नियम बना सकता है / नहीं कर सकता है
➢ He appoints the attorney general of India and determines his remuneration	➢ वह भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति करता है और अपना पारिश्रमिक निर्धारित करता है
➢ He appoints the following people:	➢ वह निम्नलिखित लोगों को नियुक्त करता है:
➢ Comptroller and Auditor General of India (CAG)	➢ भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG)
➢ Chief Election Commissioner and other Election Commissioners	➢ मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त

➢ Chairman and members of the Union Public Service Commission	➢ संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य
➢ State Governors	➢ राज्य के राज्यपाल
➢ Finance Commission of India chairman and members	➢ भारतीय वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्य
➢ He seeks administrative information from the Union government	➢ वह केंद्र सरकार से प्रशासनिक जानकारी मांगता है
➢ He requires PM to submit, for consideration of the council of ministers, any matter on which a decision has been taken by a minister but, which has not been considered by the council	➢ उन्हें प्रधान मंत्री को प्रस्तुत करने की आवश्यकता है, मंत्रिपरिषद के विचार के लिए, जिस पर किसी मंत्री द्वारा निर्णय लिया गया हो, लेकिन जिसे परिषद द्वारा नहीं माना गया है
➢ He appoints National Commissions of:	➢ वह राष्ट्रीय आयोगों की नियुक्ति करता है:

➢ He appoints inter-state council ➢ He appoints administrators of union territories ➢ He can declare any area as a scheduled area and has powers with respect to the administration of scheduled areas and tribal areas	➢ वह अंतर-राज्य परिषद की नियुक्ति करता है ➢ वह केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों की नियुक्ति करता है ➢ वह किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है और अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में अधिकार रखता है

Financial Powers of President	राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियाँ
➢ To introduce the money bill, his prior recommendation is a must	➢ धन विधेयक को पेश करने के लिए, उसकी पूर्व की सिफारिश जरूरी है
➢ He causes Union Budget to be laid before the Parliament	➢ वह संसद के समक्ष केंद्रीय बजट रखे जाने का कारण बनता है
➢ To make a demand for grants, his recommendation is a pre-requisite	➢ अनुदानों की मांग करने के लिए, उनकी सिफारिश पूर्व-आवश्यकता है
➢ Contingency Fund of India is under his control	➢ भारत की आकस्मिकता निधि उनके नियंत्रण में है
➢ He constitutes the Finance Commission every five years	➢ वह हर पांच साल में वित्त आयोग का गठन करता है

Judicial Powers of President	राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियाँ
➢ Appointment of Chief Justice and Supreme Court/High Court Judges are on him ➢ He takes advice from the Supreme Court however, the advise is not binding on him ➢ He has pardoning power: Under article 72, he has been conferred with power to grant pardon against punishment for an offense against union law, punishment by a martial court, or death sentence.	➢ मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय / उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति उस पर है ➢ वह सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेता है, हालांकि, सलाह उस पर बाध्यकारी नहीं है ➢ उनके पास क्षमादान शक्ति है: अनुच्छेद 72 के तहत, उन्हें यूनियन लॉ के खिलाफ अपराध के लिए माफी देने, मार्शल कोर्ट द्वारा सजा या मौत की सजा देने के लिए शक्ति प्रदान की गई है।

Note: Pardoning powers of the president includes the following types:
Terms

Pardon: It removes both the sentence and the conviction and completely absolves the convict from all sentences, punishments and disqualifications.
Commutation: It denotes the substitution of one form of punishment for a lighter form. For example, a death sentence may be commuted to rigorous imprisonment, which in turn may be commuted to a simple imprisonment.
Remission: It implies reducing the period of sentence without changing its character. For example, a sentence of rigorous imprisonment for two years may be remitted to rigorous imprisonment for one year.
Respite: It denotes awarding a lesser sentence in place of one originally awarded due to some special fact, such as the physical disability of a convict or the pregnancy of a woman offender.
Reprieve: It implies a stay of the execution of a sentence (especially that of death) for a temporary period. Its purpose is to enable the convict to have time to seek pardon or commutation from the President

राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति

लघुकरण (Commutation) -सज़ा की प्रकृति को बदलना जैसे मृत्युदंड को कठोर कारावास में बदलना।

परिहार (Remission) - सज़ा की अवधिको बदलना जैसे 2 वर्ष के कठोर कारावास को 1 वर्ष के कठोर कारावास में बदलना।

विराम (Respite) - विशेष परिस्थितियों की वजह से सज़ा को कम करना जैसे शारीरिक अपंगता या महिलाओं कि गर्भावस्था के कारण।

प्रविलंबन (Reprieve) - किसी दंड को कुछ समय के लिये टालने की प्रक्रिया जैसे फाँसी को कुछ समय के लिये टालना।

क्षमा (Pardon) - पूर्णतः माफ़ कर देना (इसका तकनीकी मतलब यह है कि अपराध कभी हुआ ही नहीं।

संविधान के अनुच्छेद 161 द्वारा राज्य के राज्यपाल को भी क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है।

Diplomatic Powers of President	राष्ट्रपति की राजनयिक शक्तियाँ
International Treaties and agreements that are approved by the Parliament are negotiated and concluded in his name He is the representative of India in international forums and affairs	अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ और समझौते जिन्हें संसद द्वारा अनुमोदित किया जाता है, उनके नाम पर बातचीत और निष्कर्ष निकाला जाता है वह अंतरराष्ट्रीय मंचों और मामलों में भारत के प्रतिनिधि हैं

Military Powers of President He is the commander of the defence forces of India. He appoints: 1. Chief of the Army 2. Chief of the Navy 3. Chief of the Air Force **Emergency Powers of President** He deals with three types of emergencies given in the Indian Constitution: 1. National Emergency (Article 352) 2. President's Rule (Article 356 & 365) 3. Financial Emergency (Article 360)	**राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियाँ** वह भारत के रक्षा बलों के कमांडर हैं। वह नियुक्त करता है: 1. थल सेनाध्यक्ष के 2. नौसेना के प्रमुख 3. वायु सेना प्रमुख **राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ** वह भारतीय संविधान में दी गई तीन प्रकार की आपात स्थितियों से संबंधित है: 1. राष्ट्रीय आपातकाल (अनुच्छेद 352) 2. राष्ट्रपति शासन (अनुच्छेद 356 और 365) 3. वित्तीय आपातकाल (अनुच्छेद 360)

What is the Ordinance Making Power of the President?

Article 123 deals with the ordinance making power of the President. The President has many legislative powers and this power is one of them. He promulgates an ordinance on the recommendation of the union cabinet. To read more on Ordinance Making Power of the President, check the linked article.

राष्ट्रपति का अध्यादेश बनाने की शक्ति क्या है?

अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति की शक्ति बनाने वाले अध्यादेश से संबंधित है। राष्ट्रपति के पास कई विधायी शक्तियां हैं और यह शक्ति उनमें से एक है। वह केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर अध्यादेश लागू करता है। राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्माण शक्ति पर अधिक पढ़ने के लिए, लिंक किए गए लेख की जांच करें।

What is the Veto Power of the President?	राष्ट्रपति की वीटो पावर क्या है?
When a bill is introduced in the Parliament, Parliament can pass the bill and before the bill becomes an act, it has to be presented to the Indian President for his approval. It is on the President of India to either reject the bill, return the bill or withhold his assent to the bill. The choice of the President over the bill is called his veto power. The Veto Power of the President of India is guided by Article 111 of the Indian Constitution.	जब संसद में एक विधेयक पेश किया जाता है, तो संसद विधेयक को पारित कर सकती है और विधेयक के अधिनियम बनने से पहले, इसे भारतीय राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति के लिए प्रस्तुत करना होगा। यह भारत के राष्ट्रपति पर है कि वे बिल को अस्वीकार करें, बिल वापस करें या बिल पर अपनी सहमति वापस लें। विधेयक पर राष्ट्रपति की पसंद को उसकी वीटो शक्ति कहा जाता है। भारत के राष्ट्रपति की वीटो पावर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 111 द्वारा निर्देशित है।